प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
"लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

सं.प्रनिलेप(के)/कानूनी कक्ष/11-38/2021-22/184 दि.04.01.2022

परिपत्र सं.05

सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1) (ii) एवं 18(4) के अनुसार किसी भी सेवा से संबंधित या समूह "क","ख", "ग" एवं पहले के समूह "घ" में सम्मिलित कोई भी पद धारण करनेवाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी विरासती या स्वाधिकृत या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर अधिगृहीत अचल संपत्ति या तो उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है, उनसे संबंधित संपूर्ण ब्यौरें देते हुए निर्धारित फॉर्म में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

2. तदनुसार, सभी पदधारी समूह "क","ख", "ग" एवं पहले के समूह "घ" से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष 2021 के लिए (**01.01.2022 तक**) अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नित) में संपूर्ण ब्यौरें देते हुए प्रस्तुत करें। ब्यौरें "स्वयं" एवं "आश्रित" के लिए संबंधित फॉर्म में अलग अलग प्रस्तुत करें।

3. विवरणी (समूह अधिकारी के अतिरिक्त सभी अधिकारियों द्वारा) अधोहस्ताक्षरी को **31.01.2022 को या उसके** पहले अपने संबंधित स्कंधों के माध्यम से प्रेषित की जाए।

4. समूह अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणी SPARROW में ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाए।

(प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) के दिनांक 04.01.2022 के आदेशानुसार)

डी. डी. रामकुमार

वरिक्ष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन

प्रति:
अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार